न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 38/2022

प्रताप सिंह पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।

आवेदक

बनाम

1. प्रदीप पुत्र नौरंग जाति जाट निवासी हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
2. बनारसी देवी पत्नी नौरंगराम जाति जाट निवासी हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
3. राजवीर सिंह पुत्र दयानन्द जाति जाट निवासी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं
4. तहसीलदार मण्डावा तहसील मण्डावा।

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अ.धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

निर्णय दिनांक 25.07.2024

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग जयपुर के निर्णय दिनांक 20.09.2021 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 07.08.2018 को निरस्त कर प्रकरण न्यालय हाजा को प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समूचित अंवसर दिये जाकर पुनः विधि सम्मत 03 माह में निर्णय पारित करने के निर्देश दिय गये। इसके उपरान्त अप्रार्थी गण द्वारा निर्णय दिनांक 20.09.2021 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के किये जाने पर माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 20.09.2021 को विधिसम्मत मानते हुए प्रकरण न्यालय हाजा में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबुत पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रार्थी के न्यायालय हाजा में पूर्व से विचाराधीन प्रकरण दावा उनवानी प्रताप सिंह बनाम प्रदीप दावा संख्या 468/2022 वेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा होने पर धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकों उभय पक्ष की सुनवाई उपरान्त निस्तारित किया जा चुका है। उभय पक्ष द्वारा पूर्व की मौका रिपोर्ट 03.05.2017 के सबध में भिन्न तथ्य पेश किये गये। इस लिए न्यायालय हाजा के द्वारा तहसीलदार मण्डावा के नेतृत्व में टीम गठित कर वादग्रस्त भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट चाही गई। टीम द्वारा दिनांक 02.04.2024 की रिपोर्ट निम्नानुसार पेश कि आज दिनांक 2/4/24 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय मण्डावा के आदेश क्रमांक रीडर/2024/328 दिनांक 1/4/24 की पालना में ग्राम हेतमसर के भूमि ज. नं. 532, 533

उपखण्ड अधिकारी

532 533 के मध्य से सीमा स्थिति के संबंध में प्रकरण प्रतापसिंह बनाम प्रदीप संख्या 73/22 के पारित टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में 532 533 का सीमाज्ञान मौके पर खातेदारों के कब्जे काश्त के अनुसार टीम द्वारा किया गया जो निम्नानुसार है।

ख.न.	जमाबन्दी के अनुसार रकबा	नक्शे के अनुसार रकबा	मौके अनुसार रकबा
532	2.82 हैक्टर	2.59 हैक्टर	2.74 हैक्टर
533	2.83 हैक्टर	2.74 हैक्टर	2.53 हैक्टर

नोट:- 532 की उत्तरी सीमा के सहारे अमगम 5 मीटर चौड़ा साधन कांकड है खातेदार की तारबंडी उक्त कांकड़ के आन्दर की तरफ है।"

बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया तथा निवेदन किया कि राजस्व ग्राम हेतमसर में जमीन हाल ख.नं. 533 रकबा 2.83 हैक्टर ख.नं. 532 रकबा 2.82 हैक्टर स्थित है।ख.नं. 533 का आवेदक प्रताप सिंह खातेदार है।ख.नं. 532 का अनावेदक प्रदीप व उसकी माता बनारसी देवी खातेदार है। तहसीलदार सुन्झुनू के आदेशानुसार ख.नं. 533 व 532 ग्राम हेतमसर की दिनांक 03.05.2017 को नपति कर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें रिकॉर्ड व मौका अनुसार नाम निम्न प्रकार है –

खनं 532 की पूर्वी दिशा–

रिकॉर्ड अनुसार बिन्दु बी. से सी. 102 मीटर है।

मौके अनुत्तार बी से सी = 122 मीटर

ख.न. 533 की पूर्वी दिशा

रिकार्ड के अनुसार चौड़ाई बिन्दु सी से एफ = 131 मीटर

मौके के अनुसार = 111 मीटर

नोट – यानि ख.नं. 532 के खातेदार ने आवेदक के ख.नं. 533 की 20 मीटर जमीन दबा रखी।

फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 02.04.2024 के मुताबिक ख.नं. 532 व 533 की मौका रिपोर्ट निम्न है रू–

खसरा नम्बर 532–

मौके अनुसार बिन्दु बी से सी = 118 मीटर

रिकार्ड के अनुसार बिन्दु बी से सी = 102 मीटर

खसरा नम्बर 533–

मौके के अनुसार बिन्दु डी से एफ = 114 मीटर

रिकार्ड के अनुसार बिन्दु सी से एफ = 131 मीटर

= 17 मीटर रिकॉर्ड से कम

दिनांक 02.04.2024 में ख.नं. 532 की उत्तरी सीमा में 5 मीटर चौड़ा साधन कांकड बताया है जिसमें 2 1/2 मीटर जमीन ख.नं. 532 की है। इस कारण बिन्दू बी से सी मौके पर 18 मीटर 2 1/2 मीटर 20: 1/2 मीटर जमीन रिकार्ड से अधिक है जो ख.नं. 533 की जमीन दबा

उपखण्ड अधिकारी

है जमीन ख.नं. 532 व 533 में रिकॉर्ड व मौके की पूर्व नपति दिनांक 03.05.2017 व
वर्तमान रिपोर्ट दिनांक 02.04.2024 में अन्तर निम्न प्रकार है–
खसरा नम्बर 532–
रिकॉर्ड के अनुसार बिन्दु ए से डी 106 मीटर
नई रिपोर्ट के मुताबिक मौके अनुसार बिन्दु ए से डी = 118 मीटर
रिपोर्ट दिनांक 02.04.2024 के अनुसार मौके पर बिन्दु ए से डी =110 मीटर यानि 4 मीटर
रिकॉर्ड से अधिक 5 मीटर सकन कांकड मे 2 1/2 मीटर यानि 6 1/2 मीटर अधिक
खसरा नम्बर 533–
रिकॉर्ड के अनुसार बिन्दु जी से डी 76 मीटर
नई रिपोर्ट के मुताबिकमौके के अनुसार बिन्दु जी से डी = 64 मीटर यानि 12 मीटर कम
रिपोर्ट दिनांक 02.04.2024 के अनुसार मौके पर बिन्दु जी से डी = 65 मीटर
इस प्रकार 11 मीटर कम है।
उपरोक्त अनुसार अगर वर्तमान रिपोर्ट दिनांक 02.04.2024 को भी अगर मान भी लिया जावे तो
भी ख.नं. 533 की जमीन को ख.नं. 532 के खातेदार ने दबा रखी है।पूर्व नपति रिपोर्ट
दिनांक 03.05.2017 में आवेदक प्रताप सिंह के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद पटवारी हल्का ने
यह नोट बाद में अंकित किया कि ख.नं. 545 की चारो सीमाएँ मौके पर रिकॉर्ड के अनुसार
सही पायी गई। एवं ख.नं. 532 का रकबा जमाबन्दी की तुलना में नक्शे में कम है। आवेदक
प्रताप सिंह ने मौजुदा प्रकरण फर्द नपति रिपोर्ट दिनांक 03.05.2017 के अनुसार ख.नं. 533
ग्राम हेतमसर की पत्थरगढी बाबत मौजुदा प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू में न्यायालय
में पश किया जो प्रकरण निर्णय की स्टेज पर जिला कलेक्टर झुन्झुनू के आदेश से उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी के न्यायालय में अन्तरित होने पर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने
दिनांक 07.08.2018 को आवेदक का पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र यह बोलकर खारिज किया की
ख.नं. 532 के बाबत धारा 136 आर.एल.आर एक्ट का प्रकरण विचाराधीन है जिसकी विधिवत
सुनवाई के बाद ही पत्थरगढी सम्भव है। धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट के प्रकरण का निस्तारण
हो चुका है। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के निर्णय के विरूद्ध सम्भागीय आयुक्त जयपुर के
न्यायालय में प्रथम अपील उनवानी प्रताप सिंह बनाम प्रदीप मु.नं. 356/2018 पेश की जो
निर्णय दिनांक 20.09.2022 के द्वारा स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के निर्णय
को खारिज कर दिया। सम्भागीय आयुक्त ने पत्रावली माननीय न्यायालय को रिमाण्ड की
लेकिन विपक्षी पक्षकार प्रदीप ने सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल
अजमेर में द्वितीय अपील पेश की जो आवेदक की खारिज हो गई।प्रकरण मात्र पत्थरगढी का
समरी ट्रायल का प्रकरण है न्यायालय द्वारा गठित टीम की रिपोर्ट आ चुकी है। जो आवेदक
के पक्ष में है प्रार्थी सिनियर सिटिजन है। अतः लिखित बहस पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का
पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ख.नं. 533 व ख.नं. 545 वाके हेतमसर की पत्थर गढी
करवाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी के और से निवेदन किया कि प्रकरण में सीमा विवाद नहीं है।
प्रकरण में सीमा का निर्धारण भी नहीं होना है। पटवारी हल्का की तथाकथित सीमा ज्ञान
रिपोर्ट से उक्त बात की ताईद होती कि नक्शा किश्तवार दौराने सेटलमेन्ट सही नहीं बना
और उक्त रिपोर्ट से उक्त तथ्य की भी ताईद होती है कि अनावेदक संख्या 1 व 2 की

उपखण्ड अधिकारी

तदारी का खेत खसरा नम्बर 532 का नक्शा मुताबिक रकबा छोटा है। प्रकरण में
वाकथित रिपोर्ट के मुताबिक नक्शा शीट की दुरुस्ती का विवाद है। उक्त आराजी के बाबत
वेदक ने अदालत हाजा में एक नियमित दावा उनवानी प्रताप सिंह बनाम प्रदीप दावा संख्या
8/2022 बदखली व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जो लम्बित है।विवादित आराजी के
म्बन्ध अनावेदक ने उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू की अदालत में एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 136
राजस्व अधिनियम 1956 का मु. नं. 56/2018 उनवानी प्रदीप बनाम प्रताप पेश किया था
जिसमें दिनांक 24/03/2021 को निर्णय हुआ है। उक्त निर्णय की पालना होनी है। उक्त
लम्बित दावा के निर्णय एवं निर्णित प्रकरण की क्रियान्विति से पूर्व उक्त प्रकरण की कार्यवाही
को स्थगित रखा जाना उचित व आवश्यक है। यह कि लम्बित दावा एवं निर्णित प्रार्थना पत्र
एवं उक्त प्रकरण के पक्षकारान एवं वाद विषय वस्तु समान है। ऐसी स्थिति में विरोधाभासी
फाईण्डिंग से बचने के लिए भी कार्यवाही स्थगित की जानी उचित व आवश्यक है।ऐसी स्थिति
में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि आवेदक का चाहा गया अनुतोष के मुताबिक आराजी मुतनाजा
पर भौतिक कब्जा काश्त नहीं है तथा जमीन जेर बहस का नक्शा दौरान भू प्रबन्ध सही नहीं
बना है इस कारण उक्त लम्बित दावा के निर्णय एवं निर्णित प्रकरण की क्रियान्विति से पूर्व उक्त
प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना उचित व आवश्यक है। यह कि लम्बित दावा एवं
निर्णित प्रार्थना पत्र एवं उक्त प्रकरण के पक्षकारान एवं वाद विषय वस्तु समान है। अतः प्रार्थना
पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। उभयपक्ष की
बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार मण्डावा के नेतृत्व में गठित
टीम के द्वारा भूमि का सीमाज्ञान (फर्द) 02.04.2024 के द्वारा भूमि ख.न. 532 रकबा 2.82 हैक्टर
एवं ख.न. 533 रकबा 2.83 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अनुरूप मौके पर दोनों खसरा
नम्बर का नाप क्रमशः 2.74 हैक्टर एवं 2.53 हैक्टर है। ऐसी स्थिती में दोनों खसरा नम्बर का
रकबा पुरा नही हो रहा है। माप में राजस्व रिकार्ड,मौके एवं नक्शे अनुसार रकबे में भिन्नता
है।ऐसी स्थिती में यह भी नही माना जा सकता है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की भूमि दबा रखी है।
माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के मु.न. 58/2018 अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट
1956 में पारित निर्णय दिनांक 24.03.2021 के द्वारा निम्नानुसार "वादग्रस्त भूमि ख.न. 532 रकबा
2.82 हैक्टर, ख.न. 533 रकबा 2.83 हैक्टर बाबत किसी भी काश्तकार का रकबा कम या ज्यादा
नही होने की स्थिती में ख.न. 533 की पूर्वी दिशा पर स्थित सीमा को उत्तर से दक्षिण को नाप
किया जाकर ख.न. 532 का रकबा 2.82 हैक्टर पुरा करते हुए नक्शा सीट दुरुस्त करें" उक्त
निर्णय की अभी तक पालना शेष है। वर्तमान स्थिती में वादग्रस्त भूमि ख.न. 532 व 533 के मध्य
सीमा का निर्धारण राजस्व रिकार्ड व नक्शासीट के अनुसार सही नही है। फिर भी वादग्रस्त भूमि
के संबंध में तहसीलदार मण्डावा के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा भूमि का सीमाज्ञान (फर्द) 02.04.
2024 के अनुसार पत्थरगढी फसलकाश्त होने के पश्चात के आदेश दिये जाते है। तदनुसार
आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मण्डावा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड [illegible]